न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 121/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राजूराम गोदपुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी– घाणा मगरा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. मेघाराम पुत्र अमराराम जाति बावरी निवासी घाणा मगरा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर। 2. सरपंच, गाम पंचायत घाणामगरा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर। 3. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.2017 जो राजस्व अपील संख्या 01/2016 अनवान मेघाराम बनाम राजुराम वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 2 सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम–घाणा मगरा तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 431/3 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 431/5 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि की खातेदारी हरीराम पुत्र धुलाराम जाति बावरी के नाम से थी। हरीराम के कोई औलाद नही होने से उनकी पत्नी श्रीमती ढगलाई ने अपने जाति भाई मोहनराम के पुत्र अपीलान्ट राजूराम को दिनांक 25.08.1992 को गौद ले लिया तब से अपीलान्ट राजूराम खातेदार हरीराम व श्रीमती ढगलाई के जीवन पर्यन्त उसके साथ रहा तथा उनकी सेवा की तथा उनके देहान्त के बाद सामाजिक रस्म अदायमी की। अपीलान्ट के जारी दस्तावेज में गौद पिता का नाम हरीराम लिखा हुआ है। गौद नामा की लिखित 5/– के स्टाम्प पर लिखी गयी उसमें भी अपीलान्ट के पिता का नाम हरीराम दर्ज है। गौदनामा के रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 25.08.1992 में उसके पिता का नाम हरीराम दर्ज किया हुआ है।

हरीराम पुत्र धुलाराम बावरी का देहान्त होने पर नामा0 सं 441 उसकी पत्नी ढगलाई के नाम से स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् ढगलाई पत्नी हरीराम बावरी का देहान्त होने पर ग्राम पंचायत घाणामगरा ने रजिस्टर्ड गौदनामा की जाँच आदि कर हरीराम व ढगलाई की भूमि का उतराधिकारी का नामान्तकरण गौद पुत्र की हैसियत से स्वीकृत किया गया।

मृतक खातेदार हरीराम के बड़े पिता धीराराम के पौते मेघाराम ने ग्राम पंचायत घाणा मगरा के द्वारा नामा0 संख्या 890 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष अपील इस आधार पर पेश की कि विवादित भूमि का पारिवारिक समझौता किया गया,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

माफिक पारिवारिक समझौता के अनुसार मेघाराम ने रूपये अदा कर भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। विवादग्रस्त भूमि मेघाराम के कब्जे काश्त की है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट मेघाराम ने भूमि का लगान अदा किया है और एकमात्र वह ही उक्त भूमि खातेदार/काश्तकार है। अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत किये जाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक ओर से प्रस्तुत अपील को उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत घाणामगरा द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 890 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाड़ा को पुनः जाँच एवं निर्णय के लिए रिमाण्ड कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के द्वारा अपीलाधीन आदेश स्वीकृत करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की गई है। उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के द्वारा नामा0 स्वीकृत होने के दो साल बाद की गयी प्रथम अपील को बिना म्याद बिन्दु पर निर्णय पारित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल की गयी है क्योंकि हरीराम के बड़े पिता धीराराम के पुत्रगणों क्रमशः अमराराम, गोपाराम, भीकाराम ने अपने जीवनकाल में राजूराम के गौद जाने के बारे में एवं पारिवारिक समझौते के बारे में कोई आपति नही की क्योकि उनको मालूम था कि उनके भाई हरीराम के कोई औलाद नही है और उसने राजूराम को गौद ले लिया है तथा राजूराम ही हरीराम की सेवाचाकरी करता है तथा उनकी भूमि पर राजूराम ही काबिज है। अपीलान्ट राजूराम माता ढगलाई के देहान्त के बाद उसके स्थान पर अपीलान्ट राजूराम के नाम नामा0 स्वीकृत किया गया। उस समय रेस्पो0 संख्या एक मेघाराम को अवश्य ही जानकारी हो गयी थी कि हरीराम व ढगलाई के हिस्से की भूमि उसके उतराधिकारी अपीलान्ट राजूराम के नाम दर्ज है। अतः रेस्पो0 सं0 1 की प्रथम अपील म्याद के बिन्दु पर कतई चलने योग्य नही थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानुनी बिन्दु पर आदेश पारित नही करने में भारी विधिक भूल की है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो सं0 1 द्वारा पारिवारिक समझोते के आधार पर विवादित भूमि पर अपना हक व कब्जा होना बताकर अपील पेश की है, ऐसे में अगर रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में किसी प्रकार का कोई पारिवारिक समझौता निष्पादित हुआ है तो उस पारिवारिक समझौते को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती पेश करते। इस पारिवारिक समझौता के आधार पर अपीलान्ट राजूराम का राजस्व रेकर्ड से नाम नहीं हटाया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड गौदनामा के दस्तावेत पर किसी प्रकार की कोई जाँच नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अपील का जवाब पेश कर लिखे आधारों का खण्डन किया गया था और फर्म नम्बर 3 के साथ रजिस्टर्ड गौदनामा, परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड इत्यादि के दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पेश किये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके जवाब पर गौर किये बीना रेस्पोडेण्ट की प्रथम अपील स्वीकार करने में भूल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की गयी है। अतः पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 14.8.2017 को अपीलान्ट को जानकारी दिये जाने पर उक्त जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2017 को निरस्त स्वीकृत नामा0 संख्या 890 को बहाल रखा जाने का आदेश फरमावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक मृतक खातेदार हरीराम के बड़े पिता धीराराम का पोते मेघाराम पुत्र अमराराम ने ग्राम पंचायत घाणा मगरा के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में गोदनामें अनुसार स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 890 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष अपील इस आधार पर पेश की थी कि विवादित भूमि का पारिवारिक समझौता निष्पादित किया गया, माफिक पारिवारिक समझौता के अनुसार मेघाराम ने रूपये अदा कर भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। उक्त राशि की अदायगी खातेदार द्वारा समय पर नहीं की जा सकती। तथा विवादग्रस्त भूमि को मेघाराम के द्वारा मौके पर माफिक समझौता सम्बन्धित पक्षकारान ने आज से 31 वर्ष पूर्व कब्जा प्राप्त कर लिया एवं आज भी उनके कब्जे काश्त की है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट मेघाराम ने भूमि का लगान अदा किया है और एकमात्र वह ही उक्त भूमि खातेदार/काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में लिछमणराम, धीराराम, धूलाराम पिसरान भालाराम के कब्जे काश्त की थी। माफिक पारिवारिक समझौता अनुसार उक्त भूमि अपीलान्ट की बंट व कब्जे काश्त की है। उक्त भूमि के दोषपूर्ण इन्द्राज के कारण पूर्व में यह भूमि धूलाराम के नाम दर्ज हुई तथा कालान्तर में हरीराम व मौजूदा समय में मृतका ढगलाई के नाम दर्ज हो गई। । इस बाबत एक राजस्व वाद अधिनस्थ न्यायलय में पेश होने पर नामा0 संख्या 890 स्वीकृत होने की जानकारी मिली तब दिनांक 31.12.2015 को नामा0 की नकले प्राप्त की तथा प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत किये जाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त नामा0 पुश्त पर जो वंशावली में राजूराम को ढगलाई का पुत्र दर्शाया है जबकि राजूराम मोहनलाल का पुत्र है और मतदाना सूची, पहचान कार्ड, विद्यालय अभिलेख में राजूराम पुत्र मोहनलाल दर्ज हैं। नामा0 की कार्यवाही के जरिये अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि में हक–अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी दशा में ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 890 विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक ओर से प्रस्तुत अपील को अपने निर्णय दिनांक 22.06.17 के द्वारा स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत, घाणामगरा द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 890 को इस आधार पर निरस्त किया कि ढगलाई पत्नी हरीराम के सबसे नजदीक में कौनसा वारिस है, इस प्रश्न का निर्धारण ग्राम पंचायत ने बिना विधिक जॉच के पारित किया गया है, ऐसे में प्रकरण तहसीलदार बिलाड़ा को रिमाण्ड कर दोनों पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उनसे दस्तावेजों को तलब कर विवादित भूमि का नये सिरे से नामा0 पारित करने का आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावें एवं अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि विधानसभा मतदाता सूची वर्ष 2015, विद्यालय प्रमाण में राजूराम पिता मोहनलाल दर्ज है। नामा0 संख्या 890 की पुश्त पर राजूराम को ढगलाई पत्नि हरीराम का पुत्र दर्शाया गया है। उक्त नामान्तरकरण हितबद्ध पक्षकारान की सुनवाई व बिना विधिवत जॉच के पारित किया जाना दृष्टिगोचर होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों को तलब कर विवादित भूमि का नये सिरे से नामान्तरकरण पारित किये जाने के आदेश दिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर